राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 258/2008

गोपाल सिंह चाहर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, गृह विभाग, जयपुर।
2. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान राज्य, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.03.2008
आदेश की दिनांक : 12.04.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विनायक जोशी एवं श्री बी.बी.एल. शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान करते हुए सेलेक्शन ग्रेड 4000–5000 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रदान कर समस्त पारिणामिक लाभ दिए जावें तथा पुलिस वाहन चालक के पद के सभी भत्ते आदि का लाभ मय ब्याज सहित दिए जाने का निर्देश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी आर्मी सेना से सेवानिवृत्त सैनिक है और उसकी प्रथम नियुक्ति कांस्टेबल वाहन चालक के पद पर दिनांक 01.07.1993 को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के तहत हुई थी और उसे फिक्स नियमित मासिक वेतन पर नियुक्ति दी गई। अपीलार्थी ने हमेशा संतोषजनक सेवाएं दी। अपीलार्थी को वाहन चालक भत्ता (एम.टी.) रूपये 90/– प्रतिमाह दिनांक 01.07.1995 से दिया गया। 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.01.1992 के द्वारा लाभ दिया गया। अपीलार्थी को वेतन निर्धारण वेतनमान 1998

से रूपये 2750–70–3800–75–4400 दिनांक 01.09.1996 से दिया गया। आदेश दिनांक 03.02.2006 के द्वारा चयनित वेतनमान का लाभ भी अपीलार्थी को दिया गया, जिसमें अपीलार्थी को वेतनमान 3200–4900 निर्धारित किया गया, जो अनुलग्नक–4 से प्रकट होता है। उनका कथन है कि एम.टी. शाखा एक तकनीकी शाखा घोषित की गई और जो कार्मिक तकनीकी योग्यता रखता है, वह 4000–5500 का वेतनमान 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्राप्त करने का अधिकारी है। इसके अतिरिक्त तकनीकी शाखा में कार्यरत कार्मिकों को उच्च वेतनमान भी दिया जाता है। अपीलार्थी मूल वेतन रूपये 4030/– पर दिनांक 01.03.2001 से कार्य कर रहा है जबकि वह 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वेतनमान 4000–5500 पाने का हकदार है। उनका कथन है कि कार्मिक श्री अजीत सिंह, हैड कांस्टेबल जो मार्च, 1988 में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित थे, जिनको दिनांक 02.01.1991 से एम.टी. भत्ता दिया गया और वह डी.एस.बी. शाखा में पदस्थापित थे। राज्य सरकार के आदेशानुसार वर्ष 1989 में जो व्यक्ति एम.टी. शाखा में एम.टी. भत्ता वर्ष 1989 में प्राप्त कर रहा था। उसे तकनीकी पद का लाभ दिया गया है। कोटा पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आदेश दिनांक 13.06.2003 के द्वारा 8 वाहन चालकों का एम.टी. भत्ता की कटौती कर दी गई। श्री अजीत सिंह कांस्टेबल को पी.सी.सी. कोर्स हेतु आदेश नहीं किया गया और जब उसने पी.सी.सी. कोर्स किया तो उसे हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया और द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ मार्च, 2006 में वेतनमान 5500–9000 दिया गया। जबकि अपीलार्थी पहले से ही तकनीकी पद पर कार्यरत है और उसे चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया जबकि वह प्राप्त करने का हकदार है। अपीलार्थी ने इस संबंध में कार्यालय पुलिस अधीक्षक, कोटा को दिनांक 02.06.2007 को अभ्यावेदन दिया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 25.07.2007 के द्वारा यह कहा गया कि आपके वेतनमान को रिजर्व रखा गया है। चूंकि एक्स आर्मी पर्सन हैं और आदेश दिनांक 03.12.2006 के द्वारा अपीलार्थी को चयनित वेतनमान 3200–9000 उसके 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिया गया। अपीलार्थी हमेशा एम.टी. शाखा में ही पदस्थापित रहा फिर भी उसकी 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया। जबकि वह 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान 3200–4900 के बजाय 4000–5000 प्राप्त करने का अधिकारी है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसे उक्त लाभ से वंचित रखा गया जो राजस्थान सेवा नियमों के विपरीत है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ

प्रदान करते हुए सेलेक्शन ग्रेड 4000–5000 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रदान कर समस्त पारिणामिक लाभ दिए जावें तथा पुलिस वाहन चालक के पद के सभी भत्ते आदि का लाभ मय ब्याज सहित दिए जाने का निर्देश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील में जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 03.02.2006 के द्वारा दिया जा चुका है। इस प्रकार उसका यह कथन गलत है कि प्रथम चयनित वेतनमान 4000–5500 तकनीकी ब्रांच में कार्यरत होने से प्राप्त करने का हकदार है। डी.जी.पी., जयपुर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27.12.2002 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि अगर कोई कांस्टेबल एम.टी. शाखा में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 से पूर्व कार्यरत है अथवा एम.टी. भत्ता नियमित प्राप्त कर रहा है तो वह एम.टी. कैडर के पद पर पदोन्नति के लिए सेलेक्शन ग्रेड पाने का हकदार है। अपीलार्थी राजस्थान पुलिस में दिनांक 01.07.1993 को कांस्टेबल ड्राइवर के पद पर नियुक्त हुआ था। श्री अजीत सिंह की नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर वर्ष 1988 में हुई थी, जो नियम, 1989 के लागू होने से पहले हुई थी और 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान 5500–9000 का लाभ दिया गया। जबकि अपीलार्थी नियुक्ति कांस्टेबल ड्राइवर के पद पर वर्ष 1993 में हुई थी, जो उक्त नियम लागू होने के बाद हुई थी और इस प्रकार उसकी 18 वर्ष की सेवाएं भी पूर्ण नहीं हुई। इस प्रकार अपीलार्थी को वेतनमान 5500–9000 का लाभ नहीं दिया गया। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जाने योग्य है।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति एम.टी. शाखा में कांस्टेबल चालक के पद पर दिनांक 01.07.1993 को हुई थी और तब से अपीलार्थी निरंतर एम.टी. भत्ता प्राप्त कर रहा है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी एम.टी. शाखा का ही कार्मिक है, जो एक तकनीकी कैडर का पद है। चूंकि एम.टी. शाखा एक तकनीकी शाखा घोषित की गई और यह भी स्पष्ट है कि जो कार्मिक तकनीकी योग्यता रखता है, वह 4000–5500 का वेतनमान 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्राप्त करने का हकदार है। इस प्रकार अपीलार्थी भी 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वेतनमान 4000–5500 पाने का हकदार है। हमारे विनम्र मत में कार्मिक श्री अजीत सिंह, हैड कांस्टेबल जो मार्च, 1988 में

कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित हुआ, जिसको हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया और द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ मार्च, 2006 में वेतनमान 5500–9000 दिया गया। जबकि अपीलार्थी पहले से ही तकनीकी पद पर कार्यरत है और उसे चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया जबकि वह प्राप्त करने का हकदार है। पूर्व में अधिकरण द्वारा पारित किए गए आदेश दिनांक 15.12.2006 को राज्य सरकार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15134/2009 राजस्थान बनाम राज्य बनाम श्री भैरू सिंह एवं अन्य में जारी आदेश दिनांक 26.08.2011 जिसमें अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2006 को उचित माना है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 15134/2009 राजस्थान बनाम राज्य बनाम श्री भैरू सिंह एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.08.2011 को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी को नियमानुसार उसकी तकनीकी योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए उसकी 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का वास्तविक एवं समस्त पारिणामिक लाभ नियमानुसार प्रदान किए जावें। उक्त आदेश की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य